कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

शेरपुर, गंडक कॉलोनी, पिन–842005

ई–मेल- cemuzz-mi-bih@nic.in मोबाईल नं०–9470040405 दूरभाष सं०–0621-3500181

पत्रांक–मु०अ० / ल०ज०स० / निविदा(ता० का जीर्णो०)–06 / 25 1356 / मुज०,दिनांक– 12.08.2026

–:कार्यवाही:–

आज दिनांक–12.08.2026 को मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान के अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02 / 2026–27 के ग्रुप संख्या–01 रानी सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य (राशि 112.700 लाख) में निविदा समिति द्वारा दिनांक–15.06.2026 को लिए गए निर्णय पर प्राप्त परिवाद के आलोक में निविदा समिति द्वारा की गई पुनर्समीक्षा पर अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–786 दिनांक–23.06.2026 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में पुनर्समीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए:–

1. अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा।
2. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान।

इस निविदा में 02 (दो) निविदादाता द्वारा परिवाद दिया गया, जिसकी समीक्षा निम्नरूपेण है:–

(1) i. अमित सिंह, ग्राम–कैथवलिया, पो०–सनखेखास, थाना–उच्कागाँव, जिला–गोपालगंज का परिवाद:–विषयांकित कार्य हेतु मेरे द्वारा निविदा दी गई है। परन्तु तकनीकी समीक्षा के तहत इस आधार पर निविदा अमान्य किया गया है कि अद्यतन यानी 2025–26 का GST/ITR तकनीकी बीड में अपलोड नहीं किया गया है। इस संदर्भ में मैं श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस आशय से अवगत कराना चाहूँगा कि अद्यतन यानी 2025–26 का रिटर्न दाखिल करने हेतु सरकार के वेबसाइट पर फॉर्मेट उपलब्ध (अपलोड) ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रिटर्न दाखिल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तथा इस आधार पर तकनीकी बीड अमान्य हो जाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं है। दूसरी तरफ विश्वस्त स्रोतों से पता चला है कि पूर्व में Same terms & condition के तहत NIT सं. 02/2025-26 के आलोक में लेंजा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य श्री जगनारायण सिंह को बिना अद्यतन ITR/GST के निविदा का निष्पादन कर एकरारनामा किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान निविदा को अमान्य करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध होगा कि मेरे द्वारा दिए गए निविदा पर पुनर्विचार करते हुए मेरे तकनीकी बीड को मान्य करने की कृपा की जाय।

परिवाद का समीक्षा:–परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पर पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि Technical Sheet में सिर्फ GST No. की माँग की गयी है, जो इनके द्वारा E-proc 2.0 पोर्टल पर अपलोड किया गया है। परिवादी के परिवाद के बिन्दु (i) को **मान्य** किया जा सकता है।

तकनीकी मूल्यांकण समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

(1) ii. अमित सिंह, ग्राम–कैथवलिया, पो०–सनखेखास, थाना–उच्कागाँव, जिला–गोपालगंज का परिवादः–विषयांकित निविदा में मैं निविदादाता हूँ। उक्त निविदा में जगनारायण सिंह नाम से भी एक निविदा है। विश्वस्त स्रोतों से पता चला है कि जगनारायण सिंह द्वारा दिए गए निविदा दस्तावेज (document) में उनके यहाँ कार्यरत अभियंता का प्रमाण पत्र सन 1972 में निर्गत है। स्वाभाविक है कि सन् 1972 में निर्गत प्रमाण पत्र के व्यक्ति का जन्म वर्ष सन 1945–46 के लगभग होगा, जिनकी वर्तमान में उम्र लगभग 80–81 वर्ष की होगी। ऐसी परिस्थिति में यह जाँच और सत्यापन का विषय है कि उक्त अभियंता महोदय वर्तमान में जीवित हैं या नहीं, या अगर जीवित भी हैं तो उनकी कार्य क्षमता कार्य करने योग्य है कि नहीं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा वर्णित उपर्युक्त बिंदुओं का गहन जाँच कर निविदा से संबंधित आवश्यक एवं अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

परिवाद का समीक्षाः–परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पर पुनर्समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक–1055 दिनांक–22.06.2026 परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद का समीक्षा कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित किया गया। परिवादी के द्वारा दिये गये परिवाद के बिन्दु संख्या 02 में रखे गये तथ्यों के आलोक में अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक–786 दिनांक–23.06.2026 द्वारा निविदादाता श्री जगनारायण सिंह द्वारा रखे गये अभियंता का Physical Verifaction कराते हुए पुनर्समीक्षा करने हेतु निदेश दिया गया, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–1057 दिनांक–23.06.2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान को श्री जगनारायण सिंह द्वारा रखे गये अभियंता का Physical Verifaction कर मंतव्य के साथ प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा का पत्रांक–526 दिनांक–11.07.2026 द्वारा कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान के पत्रांक–751 दिनांक–04.07.2026 संलग्न कर संबंधित प्रतिवेदन उनके मंतव्य सहित समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि श्री जगनारायण सिंह द्वारा रखे गये अभियंता के उपस्थिति के संबंध में टाल–मटोल किया जा रहा है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि इनके द्वारा लेंजा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया जा रहा है। उस कार्य में भी इनको अभियंता के उपस्थिति के लिए इस कार्यालय (कार्यपालक अभियंता) का पत्रांक–510 दिनांक–03.05.2026 द्वारा निदेशित किया गया, परंतु उपस्थिति शून्य रहा। इनके द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि श्री जगनारायण सिंह द्वारा अभियंताओं का प्रमाण–पत्र फर्जी तरीके अपना कर निविदा में संलग्न किया गया है। जो बिहार ठिकेदार निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) उप कंडिका (VII) के तहत कार्रवाई करना श्रेयष्कर होगा।

उपरोक्त तथ्य के आलोक में परिवादी के परिवाद के बिन्दु (ii) को **मान्य** तथा निविदादाता श्री जगनारायण सिंह के तकनीकी निविदा को **अमान्य** किया जा सकता है।

तकनीकी मूल्यांकण समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

(1) जगनारायण सिंह, ग्राम–डिहरी, पो०–असनी, थाना–उदवंतनगर जिला–भोजपुर का परिवादः–

यह कि मैं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के NIT No-02/ 2026-27 (द्वितीय पुनर्निविदा) के ग्रुप संख्या–01, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत रानी सागर तालाब का जीर्णोद्धार कार्य में भाग लिया हूँ। यह कि उपरोक्त निविदा में मुझे पत्रांक–मु०अ०/ल०ज०स०/निविदा (ता० का जीर्णो०)–06/25 1002/मु०,दिनांक–15.06.2026 के तहत निविदा समिति के निर्णय के अनुसार कंडिका 21 के (ख) के अनुसार अद्यतन GST/ITR अपलोड नहीं होने के वजह से मेरे तकनीकी निविदा को अमान्य कर दिया गया है, जबकि मुझे इसी GST/ITR के आधार पर लघु सिंचाई प्रमंडल सिवान के पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0–04/2025–26 के ग्रुप सं०–01 पर अंकित प्रखंड दरौली के दोन बुजुर्ग पंचायत में अवस्थित लेंजा तालाब का जीर्णोद्धार कार्य मुझे आवंटित किया गया है, जिसका एकरारनामा संख्या–01F2/2026-27 है, जो कार्य अभी भी चल रहा है।

अतः मेरे उपरोक्त GST/ITR की सही ढंग से जाँच कर मुझे उपरोक्त निविदा में सम्मिलित करने की कृपा की जाय।

परिवाद का समीक्षाः–परिवादी द्वारा समर्पित परिवाद पर पुनर्समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि Technical Sheet में सिर्फ GST No. की माँग की गयी है, जो इनके द्वारा E-proc 2.0 पोर्टल पर अपलोड किया गया है। परिवादी के परिवाद के इस बिन्दु को **मान्य** किया जा सकता है।

तकनीकी मूल्यांकण समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

12/8/26

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान।

अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल, छपरा।

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1356 /मुज०,दिनांक– 12.08.2026

प्रतिलिपि:–कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **सिवान** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12.08.26

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1356 /मुज०,दिनांक– 12.08.2026

प्रतिलिपि:–अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, **छपरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12.08.26

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1356 /मुज०,दिनांक– 12.08.2026

प्रतिलिपि:–अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12.08.26

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांकः– 1356 /मुज०,दिनांक– 12.08.2026

प्रतिलिपि:–आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 12.08.26

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।